

पत्रांक -499...../अस्थावाँ,

दिनांक : 28/07/2023

कार्यालय आदेश

एतद् द्वारा संस्थान में अध्यनरत सभी छात्र/छात्राओं को सूचित किया जाता है कि उनके वर्गाध्यापन का कार्य नियमित रूप से वर्ग-तालिका के अनुसार सम्पादित कराया जा रहा है। इसके बावजूद भी जिन छात्र/छात्राओं की उपस्थिति वर्ग-कक्ष में 75 प्रतिशत से कम होगी उन्हें विभागीय एवं राज्य प्रावैधिकी शिक्षा पर्षद, बिहार, पटना के द्वारा निर्गत निदेश के अनुपालनार्थ सामयिक तथा बोर्ड परीक्षा में बैठने से वंचित किया जायेगा। इसके लिए सम्बंधित छात्र/छात्रा हीं उत्तरदायी होंगे।

अतः सभी छात्र/छात्राओं को निदेशित किया जाता है कि वे सभी वर्ग-कक्ष में अपनी 100 प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित करें।

इसे अतिआवश्यक समझा जाये।

मानद 900/
28/07/2023

प्रभारी प्राचार्य

राजकीय पोलिटेकनिक, अस्थावाँ, नालन्दा।